तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 273/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/499) बअनवान दीपसिंह बनाम गोपालसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

दीपसिंह

बनाम

गोपालसिंह इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 07

आदेश

दिनांक 20.01.2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर लोहावट(वर्तमान सहायक कलक्टर बापिणी) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 195/2022 अनवान गोपालसिंह बनाम अर्जुनसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2022 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 25 नवंबर 2024 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 282 रकबा 7.7538 हैक्टेयर, खसरा नं. 1194/569 रकबा 5.9812 हैक्टेयर, खसरा नं. 563/14 रकबा 2.5900 हैक्टेयर, खसरा नं. 563/16 रकबा 1.1331 हैक्टेयर अपीलांट की सहखातेदारी की भूमि है तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 273/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/499) बअनवान दीपसिंह बनाम गोपालसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपीलांट मौके पर अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उसके विरुद्ध एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब भी प्रस्तुत किया जा चुका है, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को अंतिम निस्तारण नहीं किया जा रहा है। विचारण न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के प्रभाव से अपीलांट के निर्माणाधीन मकान का निर्माण कार्य रुक गया है तथा निर्माण सामग्री खराब हो रही है। इस कारण अपीलांट को अपूरणीय क्षति हो रही है, जिसकी भरपायी नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेंट्स द्वारा पूर्व में अपना मकान बनाया जा चुका है। वर्तमान में अपीलांट द्वारा मकान निर्माण कार्य शुरु किया गया, जिसे रुकवाने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2022 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत हाजा के आदेश दिनांक 16.12.2024 में मकान निर्माण की छूट की आड़ में वादग्रस्त आराजी पर सड़क से लगते अपने हिस्से से अधिक रेस्पोडेंट्स की भूमि पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्माण किया जा रहा है। अपीलांट को रेस्पोडेंट्स के हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य करवाने का कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी के विशेष भू-भाग पर स्थाई प्रकृति का निर्माण न हो, इसलिए वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध होने से पोषणीय नहीं होने से तथा सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

रिबटल में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा केवल एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है। रेस्पो. गोपालसिंह अपीलाधीन आदेश की आड़ में मौके पर निर्माण हेतु आमादा है, इसलिए रेस्पो. गोपालसिंह को भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादग्रस्त आराजी उभय पक्ष की सहखातेदारी की भूमि प्रतीत होती है। अदालत हाजा द्वारा आदेश दिनांक 16.12.2024 के जरिये अपीलांट को अपने हक-हिस्से की भूमि पर मकान निर्माण की छूट प्रदान की गई है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा फोटोग्राफस पेश कर कथन किया है कि अपीलांट द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। वही अपीलांट का कथन है कि उसके द्वारा अदालत हाजा के मकान निर्माण छूट के आदेश की पालना में अपने हिस्से की भूमि में मकान निर्माण कार्य किया जा रहा है। अपीलांट का यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 273/2024(जी.सी.एम.एस. नंबर 2024/499) बअनवान दीपसिंह बनाम गोपालसिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कथन भी है कि विचारण न्यायालय द्वारा एक पक्ष को अपीलाधीन आदेश से पाबंद किया गया है। ऐसी स्थिति में विभाजन के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए उभय पक्ष को अपीलाधीन आदेश से पाबंद किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को अंतिम निस्तारण हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उभय पक्ष को अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2022 से पाबंद किया जाकर मामले विचारण न्यायालय को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर